न्यायालय, मुंसिफ, बनमनखी (पूर्णियाँ)

TS-07/2018

06.10.2023 उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई।

वाद पुकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। वादी की ओर से आवेदन दिनांक–11.08.2023 अन्तर्गत आदेश–22 नियम–3, धारा–5 परिसीमा अधिनियम एवं अन्तर्गत आदेश–22 नियम–9 को संचालित करते हुए इनके विद्वान अधिवक्ता करते है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–02 दाना लाल साह की मृत्यु दिनांक–25.03.2022 को हो गई। जिन्होंने अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः नन्दकिशोर साह, मनोज साह एवं कामेश्वर साह एवं एक मात्र पुत्री गीता देवी को छोड़ गये। कानून की जानकारी के आभाव में वादी सं0–01 अपने पति के मृत्यु की जानकारी अपने विद्वान अधिवक्ता को नहीं दिये। वादी सं0–1 के मुख्य परीक्षण तैयार करने के दौरान उन्होंने अपने पति के मृत्यु दिनांक–25.03.2022 के बारे में जानकारी दी। वादी सं0–2 के मृत्यु के उपरांत इनके वारिशानों को पिता के स्थान पर प्रतिस्थापन किया जाना आवश्यक है। अगर वादी के ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापन आवेदन को स्वीकृत नहीं किया जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अन्त में पुनः प्रार्थना करते है कि न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल आवेदनों को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

वही प्रतिवादी की ओर से वादी के आवेदनों का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया है। प्रतिवादी सं0–2 एवं 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी के आवेदनों पर मौखिक रूप से करी आपत्ति व्यक्त करते है तथा कथन करते है कि वादी की ओर से दाखिल आवेदन वादी सं0–02 की मृत्यु के पश्चात काफी विलम्ब से दाखिल किया गया है जो संवारणीय नहीं है। प्रतिवादी सं0–1 बिहार सरकार के विद्वान अधिवक्ता वादी के आवेदनों पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं करते है।

सुना। अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी सं0–02 दाना लाल साह की मृत्यु दिनांक–25.03.2022 को हो गई। अतः वादी सं0–2 के मृत्यु के उपरांत इनके वारिशानों को पिता के स्थान पर प्रतिस्थापन किया जाना आवश्यक है। चूँकि वादी द्वारा उक्त आवेदन काफी विलम्ब से दाखिल किया गया है, अतः वादी के आवेदनों को मो0–1200/ रूपये खर्च (जिसमें मो0–600/ रूपया प्रतिवादी सं0–2 एवं 3 को देय होगा एवं मो0–600/रूपया नजारत में जमा होगा)के साथ **स्वीकृत** किया जाता है

वाद दिनांक–~~25.05.2023~~ 19.10.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ
बनमनखी।